

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- जीतेन्द्र सिंह नरुका

निवेदन प्रकरण संख्या- 37/2022

तारीख रजू :- 21.12.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

रामवतार बंसल पुत्र श्री रामजीलाल बंसल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स रामजीलाल कांतीलाल बंसल
ग्राम कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर

.....अभियुक्त


न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011
की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51,54

निर्णय

दिनांक 20/12/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15-06-2022 को साय: 01-15 पी.एम पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (महान) एक सीलड टिन जिसे खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा संस्थान में बने वाथरूम में छुपा कर रखा था जिसे विक्रेता द्वारा आम जनता को विक्रय हेतु बताया जिसमें गुणवत्ता / मिलावट का अनदेशा होने पर सीलड टिन को अच्युत तरह हिला-मिला कर टिकड़ी के विपरित ओर छेद कर वास्ते नमुना जाँच 1 लीटर घी (महान) एक स्टील की साफ भगौनी में खरीदकर उसकी कीमत 520/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान गजानन्द बंसल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 लीटर घी (महान) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (महान) को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

क्षेत्र तैयार कर प्रत्येक बोटल पर विपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-2390 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-2 अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच-2390 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से विपकाकर प्रत्येक भाग को धारो से बाध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवीदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाने में लिया एवं बचे हुए टिन घी (महान) को सील एवं सीज कर विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामवतार बंसल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री रामवतार बंसल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ: की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/1116 दिनांक 13-07-2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2122/एक्ट/2022/2133 दिनांक 27-06-2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान) Sub&Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011- This sample is also food containing extraneous matter under section 3(1)(i) of food safety and Standard Act, 2006, due to presence of foreign fat- प्रकृति का होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

श्री रामपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/284 दिनांक 05/12/2022 के द्वारा आवेदक को एक अतिरिक्त को एक केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

इसके एक केस में श्री रामवतार बंसल पुत्र श्री रामजीलाल बंसल (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) श्री रामजीलाल कांतोलाल बंसल ग्राम कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (महान) निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 54 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री श्याम सुंदर एडवोकेट द्वारा वकालतनामा दायर किया गया।

इन्स्टेन्स अधिकाारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि डेन्ट/उद्यम कारोबारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (सबस्टेण्डर्ड) प्रकृति की खाद्य वस्तु घी (महान) का डेन्ट/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

वेडन अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तलब की आवेदक द्वारा नमूना लेने की जो कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार नहीं है तथा उद्यम स्तर द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त पत्र के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेज का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक मुख्य उद्यम विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2122/एक्ट/2022/2133 दिनांक 21-06-2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान) सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रवर्धित है।

अतः सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (महान) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2006 के नियम 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/- रु0 (अक्षरे द्वान्दस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति अधिराषित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान में रख कर ही विक्रय करें तथा वह अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर